I shall, therefore, be grateful if the Government of India declares the hi-tech Hyderabad city as one of the metro cities in India.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with this Special Mention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Ms. Pramila Bohidar. Not present. Shri B.J. Panda. Not present. Shri A. Vijayaraghavan. Not present. Shri Harish Rawat.

Need to simplify the procedure for construction work Under Forest Act, 1980

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल): महोदय, वन अधिनियम 1980 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन की अनुमति लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया जटिल व लम्बी है। कई निर्माण कार्यों की अनुमति मिलने में 10 वर्ष से भी अधिक का समय लग रहा है। निर्माण कार्यों में विशेषतः सड़कों का निर्माण इस विलम्ब से कुप्रभावित हो रहा है। राज्य सरकारें किसी भी सड़क का निर्माण कार्य टुकड़ों में स्वीकृत करती हैं और एक ही सड़क के विभिन्न टुकड़ों में अलग अलग भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। बहुधा भारत सरकार की अनुमति आने तक सड़क की अनुमानित लागत स्वीकृत राशि से बढ़ जाती है और निर्माण कार्य करवाने वाले विभाग को राज्य सरकार से उसका पुनःआगमन स्वीकार करवाना पड़ता है।

उत्तरांचल जैसे राज्यों में जहां वन आच्छादित क्षेत्रफल 70 प्रतिशत के लगभग है, इस अधिनियम से सर्वाधिक पीड़ित है। उत्तरांचल राज्य की लगभग दो सौ सड़कें तथा अन्य प्रस्ताव इस अधिनियम के तहत अनुमति हेतु लम्बित हैं, जंगलों को बचाने के लिए अधिनियमित इस कानून के प्रति जनता में आक्रोश है। इस कानून के चलते चीड़ के वन जिनमें पंचायती वन भी सम्मिलित हैं, उनका वैज्ञानिक दोहन नहीं हो पा रहा है जिसके चलते समस्त उत्तरांचल राज्य चीड़ के वनों से आच्छादित होता जा रहा है। चौड़ी पत्ती के वन धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। यह वनों के विकास के लिए स्वस्थ स्थिति नहीं है।

अतः भारत सरकार को चाहिए कि वह वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत निर्माण कार्यों की अनुमति लेने की प्रक्रिया को पूर्णतः सरल बनाए तथा एक स्वीकृत निर्माण कार्य की सैद्धांतिक अनुमति एक ही बार में प्रदान की जाए। उत्तरांचल जैसे राज्यों मे चौड़ी पत्ती वाले वनों के क्षेत्र की चीड़ से रक्षा हेतु प्रतिवर्ष चीड़ के वनो का समुचित मात्रा मे निस्तारण करने की राज्य सरकार को अनुमति दी जाए और यह अनुमति पंचायती वनों सहित सभी वनों पर लागू होनी चाहिए।

Declaration by naxalites creating a new state Dandakaranya

श्री झुमुक लाल भेंडिया (छत्तीसगढ़): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह चिंता का विषय है कि नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ, पश्चिमी उड़ीसा और आंध्र